भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2739
दिनांक 17.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्लास्टिक पार्क योजना

2739. श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाण:
श्री लहर सिंह सिरोया:
श्री मस्तान राव यादव बीडा:
श्री उज्जवल देवराव निकम:
श्री रायगा कृष्णैया:
श्री एस. सेल्वागनबेथी:
डा. दिनेश शर्मा:
डा. भीम सिंह:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) परियोजना लागत, अनुमोदित सहायता अनुदान और जारी की गई निधियों सहित अब तक स्वीकृत किए गए प्लास्टिक पार्कों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) अनुमोदित प्लास्टिक पार्कों के समय पर पूर्ण होने और परिचालन सुनिश्चित करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए है;

(ग) अपशिष्ट प्रबंधन, पुनर्चक्रण और अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली सहित इन पार्कों में सृजित किए गए सामान्य अवसंरचना सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) प्लास्टिक पाकों में पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ विकास और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) मानदंडों के अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) परिचालित प्लास्टिक पार्कों के माध्यम से कितना रोजगार सृजित हुआ है और कितना निवेश आकर्षित किया गया है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, प्लास्टिक पार्कों की स्थापना के लिए योजना कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग को सामान्य अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करके और क्लस्टर आधारित विकास दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर सहयोग करना है। इस योजना के तहत, विभाग ने पूरे देश में विभिन्न राज्यों में 10 प्लास्टिक पार्कों को स्वीकृति प्रदान की है।

परियोजना लागत, स्वीकृत अनुदान राशि और जारी की गई धनराशि सहित अब तक स्वीकृत प्लास्टिक पार्कों का राज्यवार विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	**प्लास्टिक पार्क का नाम**	**भौतिक अवसंरचना (सिविल कार्य) में समग्र प्रगति**	**आवंटित भूखंडों की संख्या**	**कुल परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)**	**कुल स्वीकृत केंद्रीय अनुदान (करोड़ रुपये में)**	**जारी केंद्रीय अनुदान (करोड़ रुपये में)**
1.	तामोट, मध्य प्रदेश	**100**	33	108.00	40.00	36.00
2.	जगतसिंहपुर, ओडिशा	**100**	46	106.78	40.00	36.00
3.	तिनसुकिया, असम	96	84 प्लॉट और 15 शेड	93.65	40.00	35.73
4.	तिरुवल्लूर, तमिलनाडु	84	राष्ट्रीय हरित अधिकरण, चेन्नई द्वारा स्थगित	216.91	40.00	15.97
5.	देवघर, झारखंड	91	-	67.33	33.67	30.30
6.	बिलौआ, मध्य प्रदेश	**100**	05	68.72	34.36	30.92
7.	सितारगंज, उत्तराखंड	67	41	115.81	33.91	30.51
8.	रायपुर, छत्तीसगढ़	**100**	38	42.09	21.04	18.93
9.	गंजीमट्ट, कर्नाटक	83	-	62.77	31.38	17.25
10.	गोरखपुर, उत्तर प्रदेश	62	62	69.58	34.79	19.12

(ख): विभाग संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों के समन्वय में परियोजनाओं की प्रगति की नियमित रूप से निगरानी करता है। कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों को सुलझाने और प्लास्टिक पार्कों के समय पर पूरा होने और

संचालन को सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

आज की तारीख तक, चार प्लास्टिक पार्कों में भौतिक निर्माण (सिविल कार्य) का 100% पूरा कर लिया गया है। इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन और इनका संचालन तथा औद्योगिक इकाइयों को भूखंडों का आवंटन संबंधित राज्य सरकारों और उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है।

विभाग विभिन्न औद्योगिक आयोजनों के दौरान और प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग के साथ नियमित वार्ता के माध्यम से इन प्लास्टिक पार्कों को बढ़ावा देता है। संबंधित राज्य सरकारों ने इन पार्कों में उद्योग की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं, जिनमें उद्योग हितधारकों के लिए जागरूकता और संवेदनशीलता कार्यक्रम आयोजित करना, प्रतिस्पर्धी दरों पर भूखंड उपलब्ध कराना और विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान करना शामिल है।

(ग): इन प्लास्टिक पार्कों में निर्मित सामान्य अवसंरचना सुविधाओं में आंतरिक सड़कें, जल निकासी प्रणाली, दरवाजों सहित चारदीवारी, विद्युत आपूर्ति और स्ट्रीट लाइटिंग, जल आपूर्ति प्रणाली, प्रशासनिक भवन, सेवा अपार्टमेंट, औद्योगिक शेड, भंडारण सुविधाएं, सीवरेज प्रणाली, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), प्लास्टिक अपशिष्ट पुनर्चक्रण सुविधाएं और अपशिष्ट उपचार प्रणाली शामिल हैं।

(घ): प्लास्टिक पार्कों का उद्देश्य प्लास्टिक प्रसंस्करण क्षेत्र में पर्यावरणीय दृष्टि से सतत विकास को बढ़ावा देना है जिसके लिए ऐसी साझा अवसंरचना उपलब्ध कराई जाती है जो पर्यावरण अनुकूल विनिर्माण प्रक्रियाओं तथा संसाधनों के कुशल उपयोग को प्रोत्साहित करती है।

इन पार्कों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, सीवरेज प्रणाली, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), जल निकासी प्रणाली और अपशिष्ट जल उपचार सुविधाएं जैसी अवसंरचनाएं शामिल हैं ताकि उचित अपशिष्ट प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके। इन पार्कों में संचालित इकाइयों को लागू पर्यावरणीय नियमों का पालन करना और संबंधित अधिकारियों से वैधानिक मंजूरी प्राप्त करना अपेक्षित होता है।

इसके अतिरिक्त, पार्कों में कार्यरत उत्पादकों और प्लास्टिक प्रसंस्करण इकाइयों को सरकार द्वारा यथा अधिसूचित विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन करना अपेक्षित होता है।

(ङ): प्लास्टिक पार्कों में अब तक किया गया निजी निवेश और सृजित रोजगार का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	**प्लास्टिक पार्क का नाम**	**किया गया निजी निवेश (करोड़ रुपये में)**	**सृजित रोज़गार**
1	तामोट, मध्य प्रदेश	68.75	274
2	जगतसिंहपुर, ओडिशा	91.28	295
3	तिनसुकिया, असम	212.00	982

4	तिरुवल्लूर, तमिलनाडु	माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, चेन्नई द्वारा रोक लगाई गई।	
5	देवघर, झारखंड	-	-
6	बिलौआ, मध्य प्रदेश	2.54	-
7	सितारगंज, उत्तराखंड	-	-
8	रायपुर, छत्तीसगढ़	-	-
9	गंजीमट्ट, कर्नाटक	-	-
10	गोरखपुर, उत्तर प्रदेश	89.00	295
